

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

मुशीद खां

बनाम

तैयब खां वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 248 सन् 2018

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

नं. व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

29.10.18

प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस पर सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा नवलली का नगर पटवार मण्डल नोसर में आई हुई है। प्रार्थी की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने तथा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बैचान करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 18.12.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा नवलजी का नगर पटवार मण्डल नोसर तहसील बायतु के खसरा नम्बर 105 रकबा 158.08 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार की कच्ची या पक्की रोड़ का निर्माण करें। न ही प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बैचान या हस्तान्तरण आदि करें। मौके व राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 18.12.2018 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

18.12.19

पत्रावली पेश हुई।
बकूलाय फीकेन उपस्थित।
पीठाधीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली इत्तवा होकर।
दिनांक 08/12/19 को पेश करें।



06/02/19

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इल्लवा होकर दिनांक 27.5.19
को भेजा है।

27.5.19

पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय
सहाकारण उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी शिगर कार्या में व्यस्त है। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 26.7.19 को
भेजा है।

30.7.19

पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय
सहाकारण उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी शिगर कार्या में व्यस्त है। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 26.09.19 को
भेजा है।

9.6.2020. पत्रावली प्रस्तुत हुई। गूलवाह में वाही-
आदीबस्ता से 100 Press किया है।
लिहाजा पत्रावली खारिज 100 Press
है गयी है। लहलुहा प्रा. पत्र मध्य (सिमान्त
खारिज किये जाते हैं। पत्रावली जिला-
सुमार है 12 नम्बर के पत्र है।

वि. ड. व्याज

9.6.2020

सहायक कलेक्टर
(SDO) बीयत